



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आषाढ़, 1948 (श०)

संख्या - 389 राँची, सोमवार,

22 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

29 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG) के कार्यान्वयन अन्तर्गत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार के रूप में प्रदाय **Micronutrient Fortified and/or Energy Dense Food (MFEDF)** की आपूर्ति केन्द्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के **MFEDF** के निर्माणकर्ता-सह-आपूर्तिकर्ता एजेंसियों से प्राप्ति हेतु इन एजेंसियों का झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-245 के तहत नियम-235 को शिथिल करते हुए मनोनयन की स्वीकृति।

ज्ञापांक-05/म0स0-यो० (SAG)-91/2023-2309--राज्य के अकांक्षी जिलों के 14 से 18 वर्ष के किशोरियों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुदृढ़ कर उनका आत्मविकास एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशांक-11/4/2021-CD-I (e-95706), दिनांक-01.08.2022 के आलोक में निर्गत विभागीय संकल्प सं०-2148, दिनांक-31.07.2023 के प्रावधानों के तहत राज्य में केन्द्र प्रायोजित किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (Scheme for Adolescent Girls - SAG) क्रियान्वित है। इसमें किशोरियों में कुपोषण के Inter-generational problems का समाधान प्राप्त करने का लक्ष्य

निहित है। योजना कार्यान्वयन पर व्यय का वहन केन्द्रांश एवं राज्यांश के 50: 50 अनुपात में निर्धारित है।

2. उल्लेखनीय है कि:-

i. योजनान्तर्गत प्रतिदिन 600 कैलोरी, 18-20 ग्राम प्रोटीन तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले पूरक पोषाहार किशोरियों को आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से Take Home Ration (THR) के रूप में एक कैलेण्डर वर्ष में न्यूनतम 300 दिन प्रति लाभूक प्रति दिन ₹0-9.50 के व्यय पर वितरण कराना प्रावधानित है।

ii. योजनान्तर्गत लाभार्थियों को Take Home Ration (THR) के रूप में Micronutrient Fortified and/or Energy Dense Food (MFEDF) का वितरण किया जाना है जिसके recipe में पौष्टिक मीठा दलिया (Poushtik Meetha Dalia) एवं पौष्टिक नमकीन दलिया (Poushtik Namkeen Dalia) के रूप में दो भिन्न recipe प्रावधानित है तथा इनका लाभार्थियों द्वारा alternate दिवसों में प्रति लाभूक प्रति दिन क्रमशः 135 ग्राम एवं 140 ग्राम की ग्राह्यता एवं तदैव वितरण निर्धारित है।

इससे लाभार्थियों को प्रतिदिन क्रमशः 604 ग्रा० Kcal एवं 18.5 ग्रा० प्रोटीन/605 ग्रा० Kcal एवं 19.5 ग्रा० प्रोटीन प्राप्त हो सकेगा। (एतद् recipe में सन्निहित Calorie, Protein, Micronutrients, उत्पादन प्रक्रिया, ग्रहण के तरीके इत्यादि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक के रूप में संलग्न)

iii. योजनान्तर्गत लाभार्थियों के मध्य उक्त MFEDF की वितरण के लिए इसके क्रय एवं आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता फ़ैसियों के चयन निमित्त Jharkhande-tenders के माध्यम से निविदा की गई थी तथापि Jharkhand Procurement of Goods & Services Manual के प्रख्यापित होने के कारण इसके प्रावधानों तथा कतिपय निविदा शर्तों में विभेद संबंधी तकनीकी समस्या के कारण उक्त निविदा को निरस्त करना पड़ा।

iv. योजनान्तर्गत 38,798 आँगनबाड़ी केन्द्रों में सम्प्रति कुल 2.144 लाख किशोरियाँ पंजीकृत हैं जो औसतन प्रति केन्द्र मात्र 5.5 किशोरियाँ आकलित हैं। लाभार्थियों के प्रति केन्द्र इतनी अल्प संख्या के दृष्टिगत् इनके लिए निर्दिष्ट पूरक पोषाहार आँगनबाड़ी केन्द्रों तक आपूर्ति के क्रम में एक भिन्न व्यवस्था एवं माध्यम के तहत निर्माण रख-रखाव, परिवहन आपूर्ति तथा वितरण पर अधिक भौतिक एवं वित्तीय संसाधन लगने, व्यवहारिक न हो पाने तथा इसके दृष्टिगत् ही योजना कार्यान्वयन का अबतक भूतलीकरण नहीं हो पाने संबंधी विभिन्न समस्याएँ विभाग के समक्ष हैं।

v. वित्तीय वर्ष-2025-26 के आम बजट के आलोक में Press Information Bureau द्वारा दिनांक-01.02.2024 के भारत सरकार के प्रेस ब्रीफिंग में निर्गत है कि मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अन्तर्गत पोषाहार वितरण कार्यक्रमों के तहत Cost Norms में संवृद्धि प्रस्तावित है।

vi.

vii. यद्यपि योजना संचालन हेतु प्राप्त केन्द्रीय अंश विमुक्ति एवं राज्यांश सहित संबद्ध SNA में संधारित कुल ₹०-57.999 करोड़ तथा THR सामग्रियों के निर्माण हेतु भारत सरकार से प्राप्त कुल 1887.04MTs गेहूँ अव्यवहृत है तथापि उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत THR सामग्रियों के आपूर्तिकर्ताओं का चयन नहीं हो सकने के कारण योजना कार्यान्वयन एवं इसके तहत आँगनबाड़ीकेन्द्रों में सम्प्रति पंजीकृत कुल 2.144 लाख किशोरियों को MFEDF का वितरण नहीं हो पा रहा है।

ध्यातव्य हो कि SNA में संधारित उक्त निधियों का चालू वि०व०-2025-26 में व्यय करने पर भारत सरकार द्वारा कोई रोक अबतक प्रतिवेदित नहीं है एवं इनके व्यय उपरांत ही भारत सरकार द्वारा आवश्यक अतिरिक्त केन्द्रीय अंशदान विभाग को विमुक्त किया जाना संभावित है।

3. उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत विभाग इस तथ्य पर विचार कर रहा है कि SNP योजनान्तर्गत आगामी समय में पूरक पोषाहार की आपूर्ति प्राप्त करने हेतु आपूर्तिकर्ताओं के चयन हेतु निविदा आमंत्रित की जायेगी जिसके साथ ही SAG योजनान्तर्गत पूरक पोषाहार (14-18 वर्ष की किशोरियों तथा गर्भवती महिलाओं/धातृ माताओं के लिए समान रेसिपी पोषण मापदंड एवं व्यय दर के दृष्टिगत) प्राप्ति को सम्मिलित किया जायेगा जिससे कि संसाधनों की बचत और योजनाओं के कार्यान्वयन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके तथा इसके तहत किशोरियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने का महती उद्देश्य भी प्राप्त हो सके।

4. विदित हो कि केन्द्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं को MFEDF के रूप में Poushtik Meetha Dalia तथा Poushtik Namkeen Dalia की Jharkhand e-tender पर निष्पादित निविदा के माध्यम से चयनित निर्माणकर्ता-सह-आपूर्तिकर्ता यथा- मेसर्स इंटरलिंग फूड्स प्रा० लि०, मेसर्स आदित्य फ्लॉर मिल एवं मेसर्स कोटा दाल मिल से आँगनबाड़ी केन्द्रों तक आपूर्ति कराई जा रही है जहाँ 3.198 लाख गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं को उसका वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है (इनके साथ समेकित रूप से पंजीकृत 12.119 लाख बच्चों को भी भिन्न रेसिपी के पूरक पोषाहार उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जो लाभार्थियों की कुल संख्या 15.397 लाख अर्थात् औसतन प्रति केन्द्र 39.7 लाभार्थी बनाता है)। ये सामग्रियाँ विभाग द्वारा एजेन्सियों से क्रमशः ₹०-9.4905 प्रति मील (प्रति मील 135 ग्रा० की) तथा ₹०-9.464 प्रति मील (प्रति मील 140 ग्रा० की) की दर पर प्राप्त की जा रही है।

उक्त एजेंसियों के साथ समाज कल्याण निदेशालय का एकरारनामा सम्प्रति लागू एवं कार्यशील है।

5. उपर्युक्त के आलोक में योजना क्रियान्वयन के प्रभारी तथा विचारित सामग्री के क्रेता निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड द्वारा मंतव्य प्रस्तुत किया गया है कि कार्य की महत्ता के दृष्टिगत उक्त निविदा के निस्तारण होने तक गर्भवती महिलाओं/धातृ माताओं, 06 माह-03 वर्ष के बच्चों एवं 06 माह-06 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों के लिए MFEDF के वर्तमान के आपूर्तिकर्ताओं यथा- मेसर्स इंटरलिंग फूड्स प्रा० लि०, मेसर्स आदित्य फ्लॉर मिल एवं मेसर्स कोटा दाल मिल से निविदा की शर्तों के तहत किशोरी बालिकाओं के लिए MFEDF की भी आपूर्ति प्राप्त करने पर विचार किया जाय।

क्रेता समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड से विभाग को इस संदर्भ में अवगत कराया गया है कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किशोरी बालिकाओं के लिए MFEDF अर्थात् पौष्टिक मीठा दलिया एवं पौष्टिक नमकीन दलिया पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत किये गये एकरारनामे की दर एवं शर्तों के अनुरूप आपूर्ति किये जाने की सहमति व्यक्त की गई है जिस संबंधी पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

6. केन्द्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत धातु माताओं को प्रदाय MFEDF तथा केन्द्र प्रायोजित किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के तहत किशोरियों को प्रदाय MFEDF की रेसिपी, गुणधर्म, मात्रा, दर तथा वितरण दिवस एवं ग्राह्य पद्धति इत्यादि संबंधी विशिष्टतायें समतुल्य हैं अतएव किशोरी बालिकाओं को धातु माताओं को प्रदाय MFEDF का वितरण कराने पर विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।

इस क्रम में ज्ञातव्य हो कि धातु माताओं को प्रदाय MFEDF रेसिपियों में Micronutrient Fortification की मात्रा किशोरियों को प्रदाय MFEDF की रेसिपियों से अधिक है जिसका किशोरियों द्वारा ग्रहण करने पर उनका पोषण और सुदृढ़ होना संभव है। साथ ही यह मात्रा FSSAI के उनके दिनांक-07.01.2022 के माध्यम से निर्गत Recommended Dietary Allowance (RDA) के तहत है।

7. ध्यातव्य है कि समाज में व्याप्त कुपोषण एवं रक्तअल्पतता का मूल इसके किशोरियों को सही पोषण उपलब्ध नहीं हो पाना है। किशोरियाँ ही कलांतर में माँ बनती हैं अतएव इनके सुदृढ़ पोषण एवं स्वस्थ काया जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति को बेहतर एवं कुपोषण तथा रक्तअल्पतता मुक्त बनाता है। ऐसे में किशोरियों को सुचारू रूप से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना राज्य सरकार के कुपोषण तथा रक्तअल्पतता उन्मूलन के दूरगामी प्रयासों को सफलीभूत करने में एक आवश्यक अवयव है।

8. उपरोक्त वर्णित संकल्प के प्रावधानानुरूप किशोरियों को MFEDF के रूप में पूरक पोषाहार का वितरण शीघ्र प्रारंभ कराने की आवश्यकता तथा कार्यकारी संस्था समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड के मंतव्य सहित उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है-

i. केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG) के तहत किशोरियों को MFEDF के रूप में धातु माताओं को प्रदाय MFEDF उपलब्ध कराने तथा इसके आँगनबाड़ी केन्द्रों तक आपूर्ति केन्द्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत धातु माताओं को प्रदाय MFEDF के आपूर्ति के समरूप इसके आपूर्तिकर्ताओं यथा मेसर्स इंटरलिंग फूड्स प्रा० लि०, मेसर्स आदित्य फ्लॉर मिल एवं मेसर्स कोटा दाल मिल से उनके अनुबंध के शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुरूप प्राप्त किया जायेगा।

ii. उपर्युक्त हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करते हुए पूरक पोषाहार कार्यक्रम के उक्त आपूर्तिकर्ताओं यथा मेसर्स इंटरलिंग फूड्स प्रा० लि०, मेसर्स आदित्य फ्लॉर मिल एवं मेसर्स कोटा दाल मिल का मनोनयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

iii. उपर्युक्त मनोनयन किशोरी बालिकाओं के लिए योजना अन्तर्गत MFEDF के निविदा निष्पादन उपरांत कार्यादेश निर्गमण अथवा उक्त एजेंसियों के क्रेता समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड के साथ एकरारनामा की वैध अवधि तक (अवधि जो पहले घटित हो जाय) प्रभावी होंगे।

SAG योजनान्तर्गत आगामी समय में पूरक पोषाहार की आपूर्ति प्राप्त करने हेतु आपूर्तिकर्ता के चयन हेतु निविदा आमंत्रित की जायेगी जिसके साथ SAG योजनान्तर्गत पूरक पोषाहार (14-18 वर्ष की किशोरियों तथा गर्भवती महिलाओं/धातृ माताओं के समान रेसिपी पोषण मापदंड एवं व्यय दर के दृष्टिगत) प्राप्ति को सम्मिलित किया जायेगा।

iv. प्रशासी विभाग द्वारा SNP अंतर्गत पूरक पोषाहार की आपूर्ति प्राप्त करने हेतु निविदा आमंत्रित करने की दिशा में त्वरित कार्रवाई किया जायेगा।

9. उपर्युक्त आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार आकलित नहीं है।

10. एतद् संबंधी प्रावधान संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। इस संबंध में निर्गत पूर्व के राज्यादेश इस हद तक संशोधित होंगे।

11. एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-24.07.2025 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-21 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव
